मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 (17 अग्रहायण, शक सम्वत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. आंग्ल-भारतीय समुदाय को मध्यप्रदेश विधान सभा में प्रतिनिधित्व संबंधी अधिसूचना का पटल पर रखा जाना

श्री भगवानदेव ईसरानी, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्यपाल महोदय,मध्यप्रदेश द्वारा आंग्ल- भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को विधान सभा के सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित किये जाने विषयक विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15-1-2014-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 22 जुलाई, 2014 पटल पर रखी.

3. शपथ

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 92-विजयराघवगढ़ से श्री संजय पाठक तथा 166-आगर से श्री गोपाल परमार, उप चुनाव में निर्वाचित सदस्यगण ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा भवन में अपने स्थान ग्रहण किए।

(2) संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मध्यप्रदेश के राज्यपाल महोदय द्वारा सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय समुदाय की श्रीमती लोरेन बी.लोबो ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया.

(3) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 94-बहोरीबंद से कुंवर सौरभ सिंह, उप चुनाव में निर्वाचित सदस्यगण ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा भवन में अपने स्थान ग्रहण किए।

4. विशेष उल्लेख

सदन की साज-सज्जा एवं आधुनिक व्यवस्था हेतु अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दिया जाना

सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री, गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं सदस्यगण द्वारा सदन की साज-सज्जा, स्क्रीन, छायाचित्र, ध्वनि सम्बन्धी आधुनिक व्यवस्थाओं के लिए अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दिया गया.

5. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये: -

(1) श्री अब्दुल रहमान अंतुले, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री,
(2) श्री मुरली देवड़ा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(3) श्री रेशमलाल जांगड़े, पूर्व लोक सभा सदस्य,
(4) श्री खुमान सिंह रघुवंशी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(5) श्री सुरेश चौधरी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य तथा
(6) श्री शिव प्रताप सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(7) छत्तीसगढ़ के सुकमा तथा काश्मीर में शहीद जवान.

सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, बाला बच्चन, रामनिवास रावत एवं एडव्होकेट सत्यप्रकाश सखवार, सदस्यगण ने भी शोकोदगार व्यक्त किये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.06 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.12 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

6. प्रश्नोत्तर

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नकर्ता सदस्यों के नाम पुकारे गए. सर्वश्री बाला बच्चन, मुकेश नायक, सुन्दरलाल तिवारी, डॉ. गोविन्द सिंह आदि कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य के साथ हुई मारपीट की घटना पर चर्चा की मांग की गई. डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह विषय शासन के संज्ञान में होने एवं माननीय विधायकों के सम्मान की रक्षा करने संबंधी मत व्यक्त किया गया.

कार्यवाही में पुन: व्यवधान होने पर, अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि – "माननीय सदस्यों की बात आ गई है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह विषय उनके ध्यान में आने संबंधी मत भी व्यक्त किया गया है. अत: मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्यगण नियमानुसार लिखित सूचना देकर अध्यक्षीय कक्ष में आकर चर्चा कर लें तथा इस समय प्रश्नकाल की गंभीरता को समझते हुए कार्यवाही चलने दें"

(सदन में अत्यधिक व्यवधान के कारण प्रश्नकाल नहीं हो सका. इण्डियन नेशनल कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य के साथ हुई घटना पर चर्चा की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया. व्यवधान एवं शोरगुल के मध्य कार्यसूची में उल्लिखित विषयों पर सदन की कार्यवाही जारी रही.)

7. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री बलवीर सिंह डण्डोतिया, सदस्य की घुमक्कड़ व अर्द्धघुमक्कड़ जाति के लोगों को भू-खण्ड उपलब्ध कराये जाने,
(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की ग्वालियर में पुलिया का निर्माण न होने के कारण ग्वालियर दतिया मार्ग बंद होने,
(3) श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना के ग्राम कलुआपुरा में मलेरिया का प्रकोप होने,
(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की जिला श्योपुर के ग्राम सहसराम में सीमांकन न किये जाने,
(5) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की पिपरिया में स्वीकृत इंदिरा आवास योजना के स्वीकृत कुटीर को किश्त प्रदाय न किये जाने,
(6) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर के कृषकों द्वारा विद्युत बिल न भरने के कारण कनेक्शन काटे जाने,
(7) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की उज्जैन इंदौर में सेव नमकीन बनाने वाले कर्मचारियों के उपचार की व्यवस्था करने,
(8) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की शिवपुरी जिले की पंचायतों को केरोसिन न दिये जाने,
(9) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की जबेरा में धान की फसल सूख जाने से कृषकों को क्षति होने तथा
(10) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले में रोजगार गारंटी मद से मजदूरों का भुगतान न होने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

8. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखे :--

क्र.	अध्यादेश	क्रमांक एवं वर्ष
(1)	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2014	(क्रमांक 2 सन् 2014)
(2)	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2014	(क्रमांक 3 सन् 2014)
(3)	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2014	(क्रमांक 4 सन् 2014)
(4)	भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2014	(क्रमांक 5 सन् 2014)
(5)	मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2014	(क्रमांक 6 सन् 2014)
(6)	मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2014	(क्रमांक 7 सन् 2014)
(7)	मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014	(क्रमांक 8 सन् 2014)
(8)	मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अध्यादेश, 2014	(क्रमांक 9 सन् 2014)
(9)	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2014	(क्रमांक 10 सन् 2014)

9. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने –

(क) संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किये जाने से संबंधित लोक सभा एवं राज्य सभा की कार्यवाहियां और उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिए प्राप्त राज्य सभा सचिवालय की सूचना, तथा

(ख) (i) मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड,भोपाल का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2011-12

(ii) एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2011-12,

पटल पर रखे.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14 पटल पर रखा.

10. जून-जुलाई, 2014 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने जून-जुलाई, 2014 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

11. नियम 267 - क के अधीन जून-जुलाई, 2014 सत्र में पढ़ी गयी सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने जून-जुलाई, 2014 सत्र में नियम 267-क के अधीन पढ़ी गयी सूचनाओं तथा उनके शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

12. राष्ट्रपति / राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित 1 विधेयक को राष्ट्रपति महोदय तथा 7 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, जिनके नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों को नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :--

क्र.	राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 14 सन् 2013)	अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2014

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2014 (क्रमांक 12 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2014
2.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 14 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2014
3.	मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 15 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2014
4.	मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक,2014 (क्रमांक 13 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2014
5.	मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 16 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2014
6.	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 11 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2014
7.	मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 17 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2014

13. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत तथा ठाकुरदास नागवंशी, सदस्यगण ने कृषकों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत बीमा राशि का भुगतान न किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य संबंधी घटना पर चर्चा की मांग करते हुए गर्भगृह में प्रवेश कर नारेबाजी की गई. सदन में व्यवधान के चलते कार्यसूची में उल्लिखित विषयों पर चर्चा जारी रही.)

(2) श्री मुकेश नायक, सदस्य द्वारा कटनी नगर में स्थापित उद्योगों द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण की सूचना सदन में व्यवधान के कारण नहीं पढ़ी गई.

14.सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया:-

(1) श्री मानवेन्द्र सिंह
(2) श्री कैलाश चावला
(3) श्रीमती अर्चना चिटनिस
(4) श्री केदारनाथ शुक्ल
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) डॉ. गोविन्द सिंह

15. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई:-

(1) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक (जिला-छतरपुर)
(2) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी (जिला-भिण्ड)
(3) श्री चम्पालाल देवड़ा (जिला-भोपाल)

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 20 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 18 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

सुश्री कुसुम सिंह महदेले ने प्रस्ताव किया कि दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 18 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(3) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 19 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 19 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

17. प्रतिवेदन पर चर्चा

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अंतर्गत उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 पर चर्चा में भाग लेने हेतु, नाम पुकारे गए किन्तु व्यवधान होने के कारण चर्चा प्रारम्भ नहीं हुई.

सदन में अत्यधिक व्यवधान के कारण पूर्वाह्न 11.52 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2014 (18 अग्रहायण, शक सम्वत् 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 8 दिसम्बर, 2014